(राजस्थान सरकार,

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकार: कल्पना अग्रवाल (I.A.S)

अपील : 54 / 2024

तारीख रजू : 01.10.2024 निर्णय दिनांक : 23.10.2024

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र नाहर सिंह, जाति गुर्जर,
2. बोबाड़ पुत्र नाहर सिंह जाति गुर्जर,
3. श्रीमती मिसरली बेवा हरनाथ गुर्जर
4. दुलीचंद पुत्र श्रीराम, जाति गुर्जर,
5. सतीश पुत्र श्रीराम, जाति गुर्जर,
6. ग्यारसी विधवा श्रीराम, जाति गुर्जर,
7. शांति उर्फ संतोष देवी कैलाश की पत्नी, जयराम की पुत्रवधू, जाति गुर्जर
8. धोलाराम पुत्र कैलाश पौत्र जयराम, जाति गुर्जर,
9. मुकेश कुमार पुत्र कैलाश पौत्र जयराम, जाति गुर्जर,
10. सुभाष पुत्र जयराम, जाति गुर्जर,
11. मु. सुन्देबेवा पप्पू, जाति गुर्जर,
12. राजू पुत्र पप्पू, जाति गुर्जर,
13. लालचंद पुत्र पप्पू, जाति गुर्जर,
14. वीर पुत्री पप्पू जाति गुर्जर
15. सुष्मा पुत्री पप्पू, जाति गुर्जर
16. हरप्यारी विधवा सुभाष जाति गुर्जर,
17. अशोक पुत्र सुभाष, जाति गुर्जर,
18. औमवीर पुत्र सुभाष, जाति गुर्जर,
19. मु. छीमली पुत्री प्रभाती, जाति गुर्जर,

निवासीयान समस्त ग्राम जैनपुरवास तह. बहरोड, जिला कोटपुतली–बहरोड, राज०

– अपीलान्टान

बनाम

1. तहसीलदार बहरोड, जिला कोटपुतली बहरोड, राज०
2. मूर्ति पुत्री बदलिया जाति गुर्जर निवाती जैनपुरवास तह. बहरोड जिला कोटपुतली–बहरोड, राज०

– रेस्पोडेन्टान्

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 2225 दिनांक 20.08.2024 वाके ग्राम जैनपुरवास, तह. बहरोड जिला कोटपुतली–बहरोड, राजस्थान रेस्पोडेन्ट सं. 01 तहसीलदार बहरोड द्वारा विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है को किये जाने अपास्त एवं अपील अपीलान्ट किये जाने मन्जुर व दिलवाये जाने खर्चा मुकदमा व अन्य अनुतोष खुद।

उपस्थित :दिनेश कुमार शर्मा एड. – अपीलान्टान की ओर से।
पैरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
जितेन्द्र कुमार रावत एड. – रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

।। निर्णय ।।

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ द्वारा इंतकाल संख्या 2225 दिनांक 20.08.2024 को पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस उभय पक्ष अभिभाषकगण सुनी गई।

पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है :– इन्तकाल संख्या 2225 दिनांक 20.08.2024 वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड, जिला कोटपुतली–बहरोड, राजस्थान जो तहसीलदार बहरोड ने विधि

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

विरूद्ध रूप से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। जिसे अपील हाजा के आगामी सभी पदों में विवादित इन्तकाल से सम्बोधित किया जा रहा है। विवादित इन्तकाल में वर्णित आराजी खसरा नम्बर हाल 1262, 1777 और 1699, 1830, 1833, 1834, 1839, 1840, 1848, 1849, 1850, 1853, 1854 और 1255, 1261, 1511, 1681, 1682, 1683. 16684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1696, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1772, 1806, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816,, 1817, 1818, 1819, 1820, 1824, 1827, 1828, 1832, 1858, 1859 और 1826, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 व 1821, 1822, 1823, 1831, 1855, 1856, 1860, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871 और 1861, 1862, 1863, 1864 और 1916, 1918, 1921, 2024, 2025, 2027, 2028, 2029, 2030 व 1912, 1913, 1914, 1915, 1917, 1919, 1973, 1974, 2023, 2026, 2053, 2054 और 1263 और 1910, 1911, 1920, 1922, 1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1930, 1970, 1971, 1972 व 1836 व 1251, 1252, 1404, 1510, 1511 वाके ग्राम जैनपुरवास, तह. बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान में स्थित है। विवादित इन्तकाल में वर्णित आराजी के बाबत न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम सं. 01 बहरोड के दावा मय टी.आई. पार्थना पत्र के बअनुवान रामस्वरूप वगैरा बनाम मुर्ति वगैरा के नाम से विचाराधीन है जिसमे स्टे आदेश दिनांक 07.09.2021 को पारित किया गया जिसकी नकल रेस्पोडेन्ट सं. 01 को दी गयी तथा स्टे के नोट के बावजूद रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने न्यायालय ए.डी.जे. नं. 01 बहरोड के स्टे आदेश को दर किनार करते हुए कानून को हाथ में लेते हुए अपने तहसीलदार पद का दुरूपयोग करते हुऐ विवादित इन्तकाल विधि विरुद्ध रूप से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। सिविल कोर्ट के स्टे आदेश की अनदेखी करते हुए अपने पद का दुरूपयोग करते हुए विवादित इन्तकाल विधि विरुद्ध रूप से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। विवादित इन्तकाल में वर्णित आराजी पर रेस्पोडेन्ट नं. 02 का कब्जा नहीं है, ना ही रहा है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा ईजराय निर्णय दिनांक 11.10.2002 को बदलिया की मृत्यु होने पर वारिस मुर्ति के पक्ष में पालना का आदेश किया। इसलिये विवादित इन्तकाल को निरस्त किया जाना विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर विवादित इन्तकाल संख्या 2225 दिनांक 20.08.2024 वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ को अपास्त किये जाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट नं. 02 की ओर से अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि बदलिया की पुत्री मुर्ति देवी के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2023 की पालना में म्यूटेशन खुला है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ ने दिनांक 15.04.1963 को डिक्री हुई थी, अपीलान्ट ने इसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी एवं राजस्व मण्डल अजमेर में की थी जहां अपीलाण्ट की अपील खारिज हो गई थी। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 14.09.1984 को डिक्री जारी कर उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ के आदेश को बहाल रखा। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश 14.09.1984 की कोई अपील नही की गईं। रेस्पोडेण्ट द्वारा सन् 1999 में इस आदेश की पालना हेतु उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश किया। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ ने खातेदारी घोषणा वाद को डिक्री किया था। उक्त रजिस्टर्ड वसीयत को सिविल न्यायालय में निरस्त करने हेतु दीवानी प्रकरण पेश किया। माननीय एडीजे न्यायालय बानसूर अपील अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में अपीलाण्ट की अपील को खारिज कर आदेश दिनांक 07.10.2015 के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत सही माना गया। माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बहरोड़ के समक्ष पेश स्थगन प्रार्थना पत्र में दिनांक 03.01.2023 को मौके की यथास्थिति बाबत स्थगन आदेश पारित किया गया था, राजस्व रिकार्ड के संबंध में कोई आदेश नही था। उक्त प्रकरण में सिविल कोर्ट द्वारा मूल दावा खारिज किये जाने पर स्थगन आदेश प्रभावहीन हो गया है। सन् 1984 से विचाराधीन ईजराय के निस्तारण बाबत रेस्पोडेन्ट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन पेश कर माननीय उच्च न्यायालय से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बहरोड के न्यायालय में विचाराधीन ईजराय की पालना हेतु पेश की गई। माननीय राज0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 09.11.2023 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बहरोड को उक्त ईजराय को निस्तारण करने के आदेश पारित किये जाने पर उक्त आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी बहरोड उभय पक्षकारान को बुलाकर विधिवत सुनवाई कर आदेश पारित किये गये है। जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी बहरोड के द्वारा दिनांक 11.07.2024 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की डिक्री दिनांक 14.09.1984 की पालना करने के आदेश पारित किये जाने पर तहत के द्वारा उक्त नामांतकरण संख्या 2225 दिनांक 20.08.2024 स्वीकृत किया गया है। पश्चात नामांतकरण विधिवत डिक्री के आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अन्त में वकील रेस्पोडेण्ट ने जाहिर किया कि माननीय राज0 उच्च न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा रिट पिटीशन संख्या 8175/2023 को रिकॉल का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उसमें अपीलाण्ट द्वारा यह तथ्य छुपाकर पेश किया था कि प्रश्नागत नामांतकरण स्वीकृत हो चुका है, इस प्रकार माननीय राज0 उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 8175/2023 को रिकॉल के आदेश दिनांक 23.08.2024 सारहीन हो चुका है। प्रश्नागत नामांतकरण न्यायालय के डिक्री आदेश की पालना में दर्ज हुआ है। इस स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा दायर अपील श्रवण योग्य नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व तहत रिकार्ड का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रश्नागत नामांतकरण उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से पारित आदेश की पालना में दर्ज किया गया है। अपीलाण्ट के द्वारा जिस इजराय आदेश की पालना में नामांतकरण खोला गया है, उस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील सक्षम न्यायालय में चाराजाही करनी चाहिए थी, प्रश्नागत प्रकरण में तहत के द्वारा विधिवत न्यायालय आदेश की पालना में दर्ज नामांतकरण के विरूद्ध अपील स्वीकार योग्य नही बनती है। इस तरह तहसीलदार बहरोड के द्वारा दर्ज नामान्तकरण में कोई त्रुटि साबित नही होती है, इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट की सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़